SSC GK

PARMAR'S GK BATCH

TOPIC

Parliament and State Legislature (PART- 2)

Lecture :- 9

For Notes Join Telegram :

Click on the icon.

OR Scan

For Lectures Subscribe Our Parmar SSC Youtube Channel

Click on the icon.

OR Scan

बहुमत के प्रकार:

साधारण बहुमत : उपस्थित सदस्यों का बहुमत
50% उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य

पूर्ण बहुमत : सम्पूर्ण सदस्यों का 50%.

विशिष्ट बहुमत: (सम्पूर्ण strength - Vacancy) का बहुमत
(प्रभावी) $\frac{235}{2}+1$

विशिष्ट बहुमत : सम्पूर्ण सदस्यों की संख्या का 50% (total strength) + $\frac{2}{3}$rd उपस्थित सदस्य
(जज/चुनाव आयुक्त आदि को हटाना)

अनु० 61 → महाभियोग → $\frac{2}{3}$ of total strength

अनु० 249 → $\frac{2}{3}$rd उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य

प्रभावी बहुमत → उपराष्ट्रपति, स्पीकर, उपाध्यक्ष, को हटाना।
" लेकिन इनके चुनाव के लिए साधारण बहुमत। "

अनुच्छेद 101 : सीटों की रिक्ति

(1) एक व्यक्ति एक ही समय पर संसद के दोनों सदनों या राज्यों के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है।
(2) त्याग - पीठासीन अधिकारी को त्यागपत्र
→ 60 दिनों तक बिना सूचना के अनुपस्थित

अनुच्छेद 102 : सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ

→ पागल, दिवालिया न हो।
→ भारत का नागरिक न हो।

PARMAR SSC

→ 2 वर्ष से ज्यादा की सजा न हो।

91 वां संविधान संशोधन - दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित।

10th अनुसूची (52 वां सं. सं.)

(a) स्वतंत्र सदस्य का राजनीतिक दल में शामिल।

(b) 6 महीनो के बाद, किसी मनोनीत सदस्य का कोई राजनीतिक दल मे शामिल होना।

(c) Whip के directions को follow न करना।

(d) अगर कोई सांसद कोई अन्य दल मे शामिल हो जाता है।
अपवाद → मिलना → 2/3rd सदस्य

(दलबदल के तहत अयोग्यता के संबंध मे निर्णय) (पीठासीन अधिकारी का निर्णय)

अनुच्छेद 103: सदस्यो की अयोग्यता संबंधी प्रश्नो का निर्णय।
↳ राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त की सलाह पर।

किहोटो होलोहान Vs जच्चिलो मामला → पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम है लेकिन न्यायपालिका Review कर सकती है।

अनुच्छेद 104: अनु० 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए जुर्माना या जब योग्य न हो या अयोग्य हो।
↳ 500₹/दिन

अनुच्छेद 105: संसद के सदनो और उसके सदस्यो और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि।

संसद मे बोलने का अधिकार, मंत्री का किसी के विरुद्ध बोलना (संसद मे) न्यायालय मे वाद योग्य नही है। (कुद भी बहस कर सकता है)

PARMAR SSC

MP को दीवानी मामलो मे सत्र के प्रारम्भ के 40 दिन पहले एवं 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नही किया जा सकता।

सदस्यो को वाक् स्वतंत्रता का अधिकार है, एवं उनके विरुद्ध उनकी कही किसी भी बात को आधार बनाकर किसी भी न्यायालय मे कोई मुकदमा नही चलाया जा सकता है।

दीवानी मामलो मे गिरफ्तार नही कर सकते लेकिन फौजदारी मामलो मे गिरफ्तार हो सकता है।

अनुच्छेद 106 : सदस्यो के वेतन एवं भत्ते।
संसद के द्वारा तय

अनुच्छेद 107 : विधेयको को पेश करने और पारित करने के संबध मे प्रावधान।

विधेयक किसी भी सदन में आ सकता है।

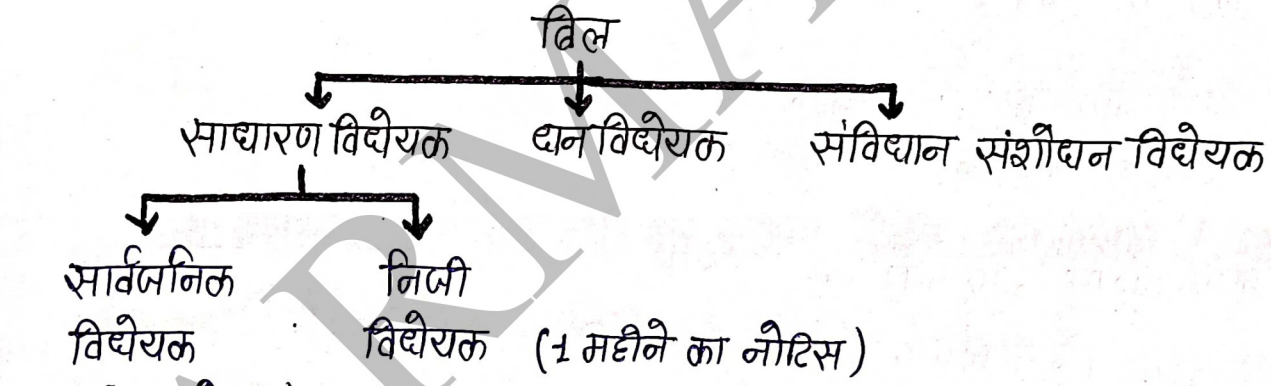

बिल का पतन → (Prorogation) सत्रावसान मे बिल खत्म (lapse) नही होगा।
(lapse)
→ Dissolution मे खत्म होता है।

अनुच्छेद 108 : कुछ मामलो मे दोनो सदनों की संयुक्त बैठक

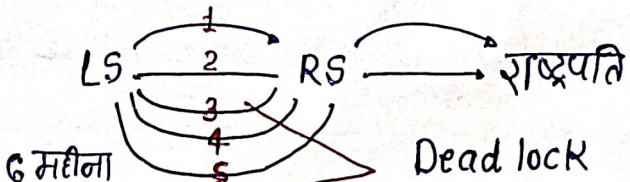

PARMAR SSC

Deadlock- राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता।
↳ लोकसभा के नियमानुसार

3 बार संयुक्त बैठक - दहेज प्रथा बिल (1960)
बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल (1977)
आतंकवाद की रोकथाम विधेयक (2002)

संयुक्त बैठक की अध्यक्षता - लोकसभा अध्यक्ष
↓ (अनुपस्थित)
उपाध्यक्ष लोकसभा
↓
राज्यसभा का उपाध्यक्ष

राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कभी नही करता।

अनुच्छेद 109: धन विधेयक के संबंध मे विशेष प्रक्रिया।

धन विधेयक केवल लोकसभा मे आ सकता।
↓
राज्यसभा
(केवल 14 दिन रोक सकता)

राज्यसभा, संशोधन नही कर सकता केवल अनुशंसित (Recomment) कर सकता है।

LS ⟶ RS ⟶ राष्ट्रपति

धनविधेयक के संबंध मे राज्यसभा के पास सीमित शक्ति है।
धनविधेयक के संबंध मे संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नही है।

अनुच्छेद 110: 'धन विधेयक' की परिभाषा

कोई विधेयक, धनविधेयक है या नही यह लोकसभा अध्यक्ष तय करता है।

PARMAR SSC

विधेयक, जो धनविधेयक नही होगा-
जुर्माना, फीस, सामान्य/साधारण उद्देश्य से लगा कर आदि/

अनुच्छेद 111: विधेयको पर सहमति

↳ Negative Power = वीटो शक्ति

(absolute veto)
पूर्ण वीटो - बिल निरस्त

निलंबित वीटो - बिल को वापिस करना/

पॉकिट वीटो - कोई प्रतिक्रिया न करना/ → (ज्ञानी जैल सिंह द्वारा प्रयोग पहली बार)

क्वॉलिफाइड वीटो - भारत के राष्ट्रपति के पास नही/

धन विधेयक के मामले मे राष्ट्रपति बिल को वापिस नही कर सकता/
(धनविधेयक राष्ट्रपति की सहमति से ही आता है।)
संविधान संशोधन के मामले मे राष्ट्रपति किसी भी वीटो का प्रयोग नही कर सकता) (24 वां संविधान संशोधन)

अनुच्छेद 112: वार्षिक वित्तीय विवरण
बजट (संविधान मे नही लिखा)

राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे के संबंध मे संसद के दोनो सदनो के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण पेश करवाएगा/

वार्षिक वित्तीय विवरण - खर्च

"राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नही की जायगी/"

भारत की समेकित निधि के लिए राशि
↓
(मतदेय नही) (non-votable)
↓
वेतन/भत्ते

अन्य पूर्तियो के लिए राशि
↓
केवल लोकसभा मे

RS को बजट पर कोई शक्ति प्राप्त नही है। केवल लोकसभा के पास मत (vote) की शक्ति है/

PARMAR SSC

अनुच्छेद 113 : अनुमान के संबंध मे संसद मे प्रक्रिया

अनुच्छेद 114 : विनियोग विधेयक
↳ वोटिंग की अनुमति नही

विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक भारत सरकार, भारत की संचित निधि से पैसा नही निकाल सकती।

→ 'वोटिंग के समय - cut motion'
↓
नीति कटौती → अनुदान घटाकर 1 ₹ की मांग
आर्थिक कटौती → प्रस्तावित कटौती के अनुरूप कम करना
टोकन कटौती → 100 ₹ की कटौती की अनुमति

अनुच्छेद 115: अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान

अनुच्छेद 116 : लेखानुदान, श्रेय मत और असाधारण अनुदान

अनुच्छेद 117: वित्तीय विधेयकों के संबंध मे विशेष प्रावधान

→ भारत सरकार की निधि:

1. संचित निधि (266) → कर (पब्लिक पर्स)
2. आकस्मिकता निधि (267) → राष्ट्रपति के हाथ मे, अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए।
3. सार्वजनिक खाते (266)
   ↳ रक्षा कोष, विभिन्न मंत्रालयों/विभागो के बचत खाते, भविष्यनिधि, आपदा प्रबंधन के लिए निधि

वित्तीय विधेयक → 2 तरह के

धन विधेयक
वित्तीय विधेयक

वित्तीय विधेयक 1
+ राष्ट्रपति
+ LS

वित्तीय विधेयक 2
+ साधारण विधेयक के समान

PARMAR SSC

अनुच्छेद 118 : प्रक्रिया के नियम

संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है।

अनुच्छेद 119: वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया का कानून द्वारा विनियमन

अनुच्छेद 120: संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

संसद का कार्य संचालन (Business) हिन्दी या अंग्रेजी में अनुवादित किया जायेगा।

→ 15 साल के बाद अंग्रेजी को हटा देना था, लेकिन अभी तक नही हटा।

→ पीठासीन अधिकारी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है।

अनुच्छेद 121 : संसद में चर्चा पर रोक

'न्यायालय में चर्चा नही कर सकते।' जजो के संबंध में संसद में कोई चर्चा नही।

अनुच्छेद 122 : अदालतें संसद की कार्यवाही की जांच नही करेगी।

अनुच्छेद 123 : संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रत्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति।

राष्ट्रपति की विधायी शक्ति

→ जब संसद का एक सदन सत्र में न हो तब क्या अध्यादेश लाया जा सकता है- नहीं हाँ

→ अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा- 6 महीना & 6 सप्ताह

राज्यपाल का अध्यादेश - 213

अध्यादेश के संबंध में मामला - डीसी वाधवा केस

PARMAR SSC

राज्य विधानमंडल

भाग - 6

अनु० - 168 - 212

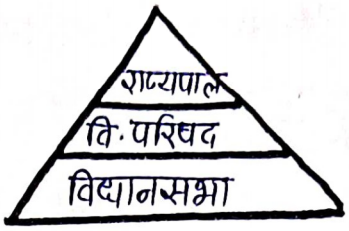

विधानसभा - सभी राज्यों में
+2 UT

विधानपरिषद - 6 राज्यों में

K - कर्नाटक
A - आंध्रप्रदेश
B - बिहार
U - UP
T - तेलंगाना
~~A~~ -
M - महाराष्ट्र

जहाँ विधानसभा और विधानपरिषद दोनों हैं उसे हम द्विसदनीय विधानमंडल कहते हैं।

विधानसभा - अधिकतम - 500
न्यूनतम - 60 (अरुणांचल, सिक्किम, गोवा को छोड़कर - 30)
मिजोरम - 40 , नागालैण्ड - 46

विधानपरिषद - अधिकतम - 1/3 विधानसभा का
न्यूनतम - 40

'वास्तविक संख्या, संसद द्वारा तय'

⊙ विधानपरिषद के बनाने/तोड़ने की शक्ति - संसद

→ राज्य के विधानसभा के विशेष बहुमत से संसद द्वारा विधानपरिषद का गठन
↓
(साधारण बहुमत से)

विधानपरिषद → 1/3 सदस्य → MLA द्वारा चयनित
1/3 " → स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा
1/12 " → माध्यमिक + उच्च शिक्षकों द्वारा
1/12 " → स्नातकों द्वारा (3 वर्ष स्नातक)

PARMAR SSC

$\frac{1}{6}$ सदस्य – राज्यपाल द्वारा मनोनीत

(साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवा, सहकारी संस्था)

1- एग्लो इंडियन राज्यपाल द्वारा

↳ 104th संविधान संशोधन द्वारा खत्म

↳ SC/ST का आरक्षण बढाया गया।

- योग्यता : विधानसभा - 25 साल
  विधानपरिषद - 30 साल
- शपथ : राज्यपाल
- त्यागपत्र : पीठासीन अधिकारी
- सत्रावसान / विघटन → राज्यपाल
- साधारण विल : ~~लोकसभा~~ विधान → राज्यपाल

~~लोकसभा~~

PARMAR SSC